

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:—शिविरा/प्रांर/पंविप/प्राशिअमू/दिशानिर्देश/2023

दिनांक:— 09-01-2024

पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर	वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.) NIC, शिक्षा संकुल, जयपुर।	निदेशक, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डाईट), समस्त	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त

विषय:—प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2024 हेतु दिशा-निर्देशों के क्रम में।

प्रसंग :- शासन का पत्र क्रमांक प.17.(30)प्राशि/2017-03839 जयपुर, दिनांक 28.12.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन से प्राप्त प्रासंगिक अनुमोदित पत्र के क्रम में लेख है कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2024 के सुव्यवस्थित एवं सुचारु संचालन के क्रम में सामान्य दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

उक्त परीक्षा का आयोजन इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार संपन्न किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:—उपर्युक्तानुसार (दिशा-निर्देश)

(सीताराम जाट)

I.A.S.

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:—शिविरा/प्रांर/पविप/5वीं-8वीं/दिशा-निर्देश/2023

दिनांक:— 09-01-2024

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त तथा राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. शासन उपसचिव, (आयोजना), प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), मा.शि./प्रा.शि. समस्त।
7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
8. प्रभारी, सिस्टम एनालिस्ट कंप्यूटर अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. अनुभाग अधिकारी, शैक्षिक/बजट/शाला दर्पण/पी.एस.पी./एस.आई.क्यू.ई. कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

पंजीयक
शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ
राजस्थान, बीकानेर

Signature valid

RajKaj Ref
5282306



Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2024.01.09 17:43:46 IST
Reason: Approved

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2024 हेतु प्रस्तावित दिशा-निर्देश

1. **नाम (Name)** : प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, 2024 (Primary Education Learning Level Evaluation 2024)

2. **मूल्यांकन के प्रतिभागी (Participants)** : राज्य के समस्त प्रकार के राजकीय विद्यालयों (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम), मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों/संस्थाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम), मदरसों एवं अन्य समकक्ष विद्यालयों में कक्षा 5 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर)।

विशेष –उक्तानुसार वर्णित समस्त प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत दृष्टिबाधित एवं मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में भाग लेना वैकल्पिक होगा।

3. **पृष्ठभूमि व उद्देश्य :-**

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन प्रथम बार सत्र 2016-17 में हुआ।

कक्षा 5 के विद्यार्थियों हेतु आयोज्य इस मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

- मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर अध्यापकों की जवाबदेही तय करना।
- कमजोर अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उनके अधिगम स्तर में सुधार करना।
- शिक्षण के कमजोर पहलुओं की पहचान कर तदनुसार ही सुधार हेतु शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मॉड्यूल डिजाइन कर लागू करना।

यह मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा/एस.ए-3 (सी.सी.ई विद्यालय) के स्थान पर आयोजित किया जायेगा। जिला स्तर पर इस मूल्यांकन का आयोजन, संचालन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन सम्बन्धित डाइट्स के द्वारा किया जावेगा। मूल्यांकन पत्रक निर्माण, मॉडरेशन एवं मुद्रण राज्य स्तर पर किया जायेगा। मूल्यांकन के सुव्यवस्थित नियोजन, आयोजन एवं संचालन के लिए डाइट द्वारा जिला स्तर पर अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी।

गत वर्ष तक आयोजित होते रहे उक्त मूल्यांकन के लिए पूर्व में विभिन्न अभिकरणों को सौंपे गये परीक्षा से सम्बन्धित कार्यों एवं प्रक्रिया के स्थान पर वर्ष : 2024 में आयोज्य मूल्यांकन हेतु नये सिरे से विभिन्न विभागों/संगठनों/कार्यालयों को सौंपे जाने वाले दायित्व/कार्यों के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-

4. **निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्व:-**

- परीक्षा आयोजन हेतु पर्यवेक्षण, निरीक्षण, नियन्त्रण तथा प्रबोधन के क्षेत्र में नेतृत्व करना।
- कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर में प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5) के लिए पूर्व में गठित प्रकोष्ठ के अतिरिक्त परीक्षा के ऑनलाईन, प्रबोधन एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना ताकि परीक्षा संचालन, नियन्त्रण एवं प्रबोधन को प्रभावी बनाया जा सके।
- परीक्षा के सफल आयोजन हेतु आवश्यक आदेश, निर्देश एवं परिपत्र इत्यादि जारी करना।
- कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त प्रस्तावानुसार बजट प्रावधान कराना एवं राशि आवंटन करना।
- परीक्षा को लेकर बजटरी प्रावधानों की सम्भावित विसंगतियों को दूर करना तथा लेखा अधिकारियों द्वारा यथा आवश्यकता पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर का सहयोग करना।
- पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के प्रस्ताव पर भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपयोग, परीक्षा के लिए क्षेत्र से शिक्षकों/कार्मिकों के व्यूहबन्धन के लिए निर्देश जारी करना अथवा अनुमोदन करना।

RajKaj Ref
5282306

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2024.01.09 17:43:46 IST
Reason: Approved

- **निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी:**—प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, 2024 के लिए अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे। मूल्यांकन (परीक्षा) के संचालन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, प्रबोधन एवं प्रबन्धन के किसी भी स्तर का अवलोकन एवं समीक्षा कर सम्बन्धित को निर्देश जारी करने, आवश्यक पत्राचार करने एवं समुचित नियन्त्रण करने के लिए वे अधिकृत होंगे।
- 5. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (RSCERT), उदयपुर के कार्य एवं दायित्व :-**
- मुख्य व पूरक परीक्षा हेतु दक्षता आधारित मूल्यांकन पत्रक (प्रश्न पत्र बुकलेट) निर्माण के लिए ब्लू प्रिन्ट तैयार करना, मूल्यांकन पत्रक निर्माणकर्ताओं एवं विषय विशेषज्ञों के पैनल्स तैयार करना तथा समस्त प्रकार के अकादमिक कार्यों में पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर को सहयोग प्रदान करना।
 - प्रश्न पत्र बुकलेट निर्माण, मोडरेशन सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादित करना।
 - बैठकों, कार्यशालाओं, वी.सी. एवं पी.पी.टी. तैयार करने इत्यादि के लिए पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर को यथा आवश्यकता सहयोग प्रदान करना।
- 6. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के कार्य एवं दायित्व :-**
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर डाइस डेटा के आधार पर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों/संस्थाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) में कक्षा 5 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की समस्त सूचना को शाला दर्पण पोर्टल/पी.एस.पी. पोर्टल पर शत प्रतिशत प्रविष्टि करवाना एवं प्रतिदिन लाइव अपडेशन करवाना।
 - कक्षा 5 में सी.सी.ई. संचालित सभी विद्यालयों को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित करवाना। निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर एवं RSCERT, उदयपुर के लॉगिन पर उक्त विद्यालयों की सूची उपलब्ध करवाना।
 - कक्षा 5 में सी.सी.ई. संचालित राजकीय विद्यालयों के लिए उक्त मूल्यांकन में समुचित प्रावधान कराने हेतु स्पष्ट निर्देश, आवश्यकतानुसार RSCERT, उदयपुर एवं निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्धित अधिकारियों एवं यथा आवश्यकता अन्य सम्बन्धित अभिकरणों के साथ मिलकर तैयार करना।
 - SA-1, SA-2 के अंकों को समेकित करने के लिए तैयार Formula कक्षा 5 में सी.सी.ई. संचालित सभी राजकीय विद्यालयों एवं प्रशिक्षणों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
 - विद्यालयों/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु). प्रा.शि./मा.शि./डाइट्स/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं परीक्षा से सम्बन्धित अन्य अभिकरणों/संगठनों हेतु प्रसारित किये जाने वाले आदेश, निर्देश एवं परिपत्र इत्यादि अधिकृत वेब पोर्टल (education.rajasthan.gov.in) एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कराना।
- 7. NIC, शिक्षा संकुल, जयपुर के कार्य एवं दायित्व:-**
- मूल्यांकन से सम्बन्धित समस्त अभिकरणों/संगठनों को आवश्यकतानुसार तकनीकी सपोर्ट करना, परीक्षा (मूल्यांकन) की समस्त ऑनलाइन प्रक्रियाओं के लिये विनिर्दिष्ट कार्यों को शाला दर्पण/पी.एस.पी. पोर्टल पर नियन्त्रित एवं क्रियान्वित करना।
 - RSCERT, उदयपुर एवं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर द्वारा विनिर्दिष्ट समस्त प्रकार के ऑनलाइन कार्यों हेतु सहयोग प्रदान करना।
 - निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक, प्रा.शि., निदेशक, RSCERT, उदयपुर व पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ द्वारा समय-समय पर की जाने वाली मांग के अनुसार समुचित सहयोग करना।
 - ऑनलाइन आवेदन कराने, आवेदन पत्र में विद्यार्थी की श्रेणी और विद्यालय की श्रेणी में भेद, नामांक जारी करने, प्रवेश पत्र जारी करने, सत्रांक फीडिंग कराने, परिणाम जारी कर ग्रेड तालिका प्रमाण पत्र जारी कराने तथा टी. आर. तैयार कराने से सम्बन्धित समस्त कार्यों को क्रियान्वित एवं नियन्त्रित करना।

Signature valid

Digitally signed by Sita Prami at
 Reason: Approved
 Date: 2024.01.09 15:43:46 IST

- मूल्यांकन से सम्बन्धित समस्त प्रकार के ऑनलाइन प्रपत्र तैयार कर जारी करना।
- पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान बीकानेर के अनुमोदन से प्रत्येक डाइट को विद्यालय का श्रेणीवार (राजकीय/गैर राजकीय/संस्कृत राजकीय/संस्कृत निजी/मदरसा) सूचना ऑनलाईन उपलब्ध करवाना।
- पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान बीकानेर के अनुमोदन से डाइट का परीक्षार्थियों की संख्या वर्गवार, लिंगवार (छात्र एवं छात्रा) सूचना ऑनलाईन उपलब्ध करवाना।
- आवेदन से पूर्व RTE विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं को पोर्टल पर अद्यतन करना।

8. कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्व :-

- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन के आयोजन, संचालन, नियन्त्रण एवं प्रबोधन में एक समन्वयक अभिकरण के रूप में निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, RSCERT, NIC, शिक्षा संकुल जयपुर, डाइट्स एवं अन्य जिला कार्यालयों के मध्य पारस्परिक समन्वयन करना।
- यथा सम्भव अभिनव तकनीक के ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों के आवेदन (मुख्य व पूरक परीक्षा) करवाने, संग्रहण केन्द्रों का निर्धारण करवाने, मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण करवाने, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करवाने, परीक्षार्थी नामांक जारी करवाने, वीक्षको/परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण/आवण्टन करवाने, सत्रांक प्रविष्ट करवाने, मूल्यांकन करवाने, शाला दर्पण पर परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं के स्टाफ विण्डो लॉगिन/मूल्यांकन केन्द्र लॉगिन द्वारा प्राप्तांक प्रविष्टि करवाने, परीक्षा परिणाम तैयारी करवाने, परीक्षा परिणाम घोषणा करवाने, टी. आर. तैयार करवाने, ग्रेड तालिका सह प्रमाण पत्र व क्रमोन्नत प्रमाण पत्र, जारी करवाने में सक्रिय भूमिका निभाते हुए सम्बन्धित अभिकरणों/कार्यालयों में निरन्तर पारस्परिक समन्वयन स्थापित कर परीक्षा व्यवस्थाओं का नियन्त्रण एवं प्रबोधन करना।
- सम्बन्धित आदेश-निर्देश विभाग की अधिकृत वेबसाइट (education.rajasthan.gov.in) व शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाना। इस हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों को निर्देश जारी करना।
- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2024 के प्रश्न पत्र बुकलेट (मूल्यांकन पत्रक) मुद्रण एवं वितरण करना
- परीक्षा संचालन हेतु पंचांग का निर्माण एवं परीक्षा कार्यक्रम तैयार कर उक्तानुसार कार्यवाही का संचालन करना।
- परीक्षा आयोजन के लिए आवश्यकतानुसार समिति निर्माण, नियन्त्रण-कक्ष स्थापना एवं अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करने सहित अन्य सामान्य प्रशासनिक निर्णय लेना।
- राज्य स्तर पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर सूचना संकलन करना एवं तदनुसार प्रशासनिक नियन्त्रण एवं प्रबोधन करना।
- परीक्षा/मूल्यांकन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उसका तुरन्त नियमानुसार निराकरण करना अथवा आवश्यक होने पर निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी, अति-निदेशक (प्रशासन), प्रा.शि. को अवगत कराते हुए उसका निस्तारण करवाना।
- मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय के शुल्क जमा होने पर विद्यार्थियों की समेकित सूची जारी करवाना।
- आवेदन से पूर्व RTE विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं को पोर्टल पर अद्यतन करवाना।
- मूल्यांकन (परीक्षा) कार्य हेतु डाइट को मेन विद मशीन हेतु बजट आवंटन करवाना। (अधिकतम 3 माह के लिए)
- प्रत्येक डाइट को विद्यालय का श्रेणीवार (राजकीय/गैर राजकीय/संस्कृत राजकीय/संस्कृत निजी/मदरसा) सूचना ऑनलाईन उपलब्ध करवाना।

Signature valid

- #### 9. शिक्षा विभाग के संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व :-
- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अपने संभाग के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को सूचनाएँ जारी करके सूचनाएँ उपलब्ध करवायेंगे।

- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बतौर जिला पर्यवेक्षक अपने स्तर पर परीक्षा का पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं प्रबोधन करेंगे। जिला नोडल अधिकारी (प्रधानाचार्य, डाइट) की मांग पर परीक्षा हेतु समुचित सहयोग के लिए आदेश-निर्देश जारी करेंगे।
- जिला शिक्षा अधिकारी (मु.). माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा जिला नोडल अधिकारी से तालमेल स्थापित कर परीक्षा व्यवस्थाओं में समुचित सहयोग करेंगे। प्रधानाचार्य, डाइट की मांग पर वीक्षण, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन संबंधी समस्त महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार आदेश जारी करेंगे।

10. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के कार्य एवं दायित्व :-

- प्रधानाचार्य, डाइट बतौर जिला नोडल अधिकारी परीक्षा के आयोजन, संचालन, नियंत्रण, निरीक्षण, प्रबोधन, मूल्यांकन एवं प्रबंधन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत, पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रभारी अधिकारी, गठित समिति सदस्य एवं प्रधानाचार्य द्वारा पाबन्द और अधिकृत समस्त फ़ैकल्टी सदस्य, गैर शैक्षणिक, अधिकारी एवं अन्य कार्मिक भी उनको सौंपे गये अपने कार्यों के लिए व्यक्तिशः एवं समस्त कार्यों के लिए सामूहिक रूप से पूर्णतया जवाबदेह होंगे। इसके अतिरिक्त प्राचार्य डाइट नवगठित 17 जिलों में परीक्षा संचालन संबंधी उन्हें सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन भी करेंगे।
- निदेशालय, प्रा. शि. बीकानेर, RSCERT, उदयपुर एवं कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के निर्देशानुसार परीक्षा (मूल्यांकन) से सम्बन्धित समस्त कार्यों में सक्रिय भूमिका अदा करना।
- प्रश्न पत्र बुकलेट एवं अन्य आवश्यक परीक्षा सम्बन्धी सामग्री का संग्रहण, संकलन एवं वितरण कराना।
- परीक्षा के दौरान आवश्यकतानुसार उड़न दस्तों का गठन (अधिकतम चार) कर परीक्षा का समुचित निरीक्षण, परिवीक्षण, पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक निरीक्षण कर परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता, विश्वसनीयता एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।
- परीक्षा उपरान्त मूल्यांकन हेतु परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण/मैपिंग करना एवं त्वरित मूल्यांकन सुनिश्चित करना। इन समस्त कार्यों में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा) से सहयोग प्राप्त करना मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उक्त कार्य करवाना।
- जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन कर समिति की बैठकों का आयोजन निर्धारित तिथियों में करना।
- जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के अनुमोदन से संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण/मैपिंग सी.बी.ई.ओ. के माध्यम करवाना एवं मॉनिटरिंग करना।
- सी.बी.ई.ओ. के माध्यम से तैयार पैनल के अनुसार परीक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कराना।
- परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य निर्विघ्न सम्पन्न करवाने एवं समुचित प्रबोधन हेतु डाइट स्तर पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
- परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त ग्रेड तालिका सह प्रमाण-पत्र सी.बी.ई.ओ. के माध्यम से विद्यार्थियों को वितरित करना।
- परीक्षा परिणाम जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में पुनर्गणना से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित करना।
- जारी ग्रेड तालिका सह प्रमाण पत्र के खो जाने अथवा नष्ट हो जाने अथवा त्रुटिपूर्ण स्थिति में परीक्षार्थी एवं संस्था प्रधान के लिखित आग्रह पर कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा/प्राशि/पंविप/5-8/विविध/2022 दिनांक : 29/03/2023 में प्रदत्त निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति सशुल्क (100रु) जारी करना।
- समय-समय पर निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर एवं कार्यालय, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, बीकानेर द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।
- मूल्यांकन व्यवस्था एवं परीक्षा आयोजन हेतु मूल्यांकन/संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों के केन्द्राधीक्षकों हेतु यथावश्यकता दिशा-निर्देश जारी करना।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director

Date: 2024.03.13 13:46:55
Reason: Approved

11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :-

- ब्लॉक नोडल अधिकारी परीक्षा संचालन निरीक्षण, नियंत्रण, प्रबोधन एवं प्रबन्धन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे।
- मूल्यांकन (परीक्षा) के राज्य स्तरीय अधिकरणों एवं जिला नोडल अधिकारी (प्रधानाचार्य,डाइट) के निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका अदा करना।
- ब्लॉक स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन एवं बैठक आयोजित करना।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों को पोर्टल पर मैपिंग/निर्धारण कर सूचना डाइट को प्रेषित करना।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों तथा परीक्षा केन्द्रों पर मांग के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध करवाना (केवल परीक्षा कार्य हेतु)
- प्राप्त प्रश्न पत्र बुकलेट एवं अन्य परीक्षा संबंधी सामग्री को संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों को वितरित करवाना एवं परीक्षा केन्द्राधीक्षकों द्वारा समीपस्थ पुलिस थाने/चौकी पर सुरक्षित रखवाना।
- मूल्यांकन कार्य के दौरान निर्देशानुसार सैंपल चेकिंग कार्य सम्पादित करना। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक केन्द्र से प्रत्येक विषय की पाँच-पाँच प्रश्न पत्र बुकलेट के मूल्यांकन का मौके पर ही आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए मूल्यांकन कार्य का सत्यापन करना। प्रत्येक मूल्यांकन केन्द्र पर एक-एक विषय विशेषज्ञ राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करके सैंपल चेकिंग करवाना।
- पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ./केन्द्राधीक्षक जो कि अपने परिक्षेत्र के समस्त परीक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण प्रभावी होगा, के माध्यम से समस्त परीक्षा केन्द्रों का सतत पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना।
- परीक्षा केन्द्रों से समस्त सूचनाओं के आदान-प्रदान का उत्तरदायित्व का निर्वहन संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र/पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ./केन्द्राधीक्षक के माध्यम से करना।
- अपने परिक्षेत्र में परीक्षा केन्द्रों की प्रश्न पत्र बुकलेट को पुलिस थाने से लाने एवं सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों को वितरित करने की समस्त प्रक्रिया सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक/पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ.के माध्यम से सुनिश्चित करना।
- ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2024 सेल का गठन किया जाएगा जो वर्ष पर्यन्त परीक्षा संबंधी कार्य संपादित करेगी।
- परीक्षा के दिन अपने परिक्षेत्र में केन्द्राधीक्षकों द्वारा सीलबद्ध प्रश्न पत्र बुकलेट पैकेट को पुलिस थाने से सुरक्षित परीक्षा केन्द्र तक लाने की समस्त प्रक्रिया की प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए रिकार्ड संधारित करवाना।

12. मूल्यांकन (परीक्षा) के लिए समितियों का गठन:-

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2024 के सफल संचालन एवं नियंत्रण हेतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति का निम्नानुसार गठन किया जायेगा

परीक्षा संचालन समिति (33 जिला व्यवस्थानुसार)

क्र.स	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	प्रधानाचार्य डाइट	सदस्य सचिव
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा	सदस्य
5.	समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. (मनोनीत-1)	सदस्य
7.	प्रभारी अधिकारी, कक्षा 5 परीक्षा, डाइट	सदस्य
8.	सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार (मनोनीत)	सदस्य

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2024.01.09 15:43:46 IST
Reason: Approved

- नवीन जिला व्यवस्था में ऐसे नवीन 17 जिले जो पूर्व जिले से अलग/विभक्त होकर बने हैं, उसके लिए पूर्व (मूल जिला) जिले के प्राचार्य डाईट द्वारा उक्त परीक्षा संबंधी समस्त कार्य हेतु डाईट में पदस्थापित वरिष्ठ व्याख्याता को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा। वरिष्ठ व्याख्याता नवीन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक (मुख्यालय) से समन्वय स्थापित कर परीक्षा के सफल संचालन हेतु कार्य करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक (मुख्यालय) नवीन जिला आवश्यकतानुसार परीक्षा संबंधी आवश्यक आदेश जारी करने हेतु अधिकृत होंगे। नवीन जिलों हेतु जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति निम्नानुसार रहेगी—

परीक्षा संचालन समिति (17 नवगठित जिला व्यवस्थानुसार)

क्र.स	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ व्याख्याता डाईट एवं प्राधिकृत अधिकारी, (मूल जिला डाईट)	सदस्य सचिव
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य
4.	समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5.	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी—प्रथम (जिला मुख्यालय)	सदस्य
6.	प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. (मनोनीत-1)	सदस्य
7.	प्रभारी अधिकारी, कक्षा 5 परीक्षा, डाईट (मूल जिला)	सदस्य
8.	सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार (मनोनीत)	सदस्य

- **उक्त नवीन जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति परीक्षा संबंधित प्राप्त परिवेदनाओं को मूल जिला समिति को आवश्यकतानुसार अग्रेषित कर सकेगी।**

- इस समिति की बैठक सत्र में दो बार आवश्यक रूप से आयोजित की जावे। आवश्यकतानुसार अधिक बैठकें भी की जा सकती है।
- परीक्षा आयोजन की समस्त व्यवस्थाओं के लिए डाईट द्वारा जिला स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति का अनुमोदन करवा लिया जावे।
- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5) 2024 की समस्त व्यवस्थाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर भी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा 'ब्लॉक स्तरीय संचालन समिति' का गठन किया जावे।
इस समिति की बैठक सत्र में प्रत्येक डाईट स्तर पर बैठक होने के तत्काल पश्चात् की जानी है। (बैठकों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।)

ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति

क्र.स	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	अति, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय)	सदस्य सचिव
3.	ब्लॉक मुख्यालय के राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक (CBEO द्वारा चयनित-1)	सदस्य
4.	संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र के संस्थाप्रधान	सदस्य
5.	ब्लॉक क्षेत्र के संस्थाप्रधान, रा.उ.प्रा.वि. (जि.शि.अ.मु.प्रा.शि.द्वारा मनोनीत-2)	सदस्य
6.	लेखाकार-1	सदस्य

13. **प्रवेश योग्यताएं एवं क्षेत्राधिकार:**—किसी भी राजकीय विद्यालय, राजकीय संस्कृत विद्यालय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, मदरसा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य विद्यालयों से कक्षा 5 में विद्यमान अध्ययनरत विद्यार्थी ही इस मूल्यांकन में भाग लेंगे। संस्थाप्रधान का यह दायित्व होगा कि अपने विद्यालय की कक्षा 5 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का इस मूल्यांकन में भाग लेने का प्रबंधन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

Signature valid
Digitally signed by Sita Rajguruji
Designation: Director
Date: 2024.01.09 17:43:46 IST
Reason: Approved

14. परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण:-

- परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण इस तरह से किया जाये कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के सबसे बड़े राजकीय विद्यालय में केन्द्र निर्धारित हो उसकी दूरी सम्बन्धित विद्यालय से 4 कि.मी. से अधिक ना हो। यदि किन्ही परिस्थितियों में केन्द्र परिवर्तन किया जाना अपरिहार्य हो तो जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की अनुशंसा उपरान्त जिला नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- अधिकतम 24 विद्यार्थियों पर एक वीक्षक की नियुक्ति की जायेगी, यथासम्भव उन राजकीय विद्यालयों को ही परीक्षा केन्द्र बनाया जावे, जहाँ पहले से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्र निर्धारित हैं।

15. संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र:-

- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन हेतु जो राजकीय विद्यालय संग्रहण केन्द्र होगा, उसी को मूल्यांकन केन्द्र भी माना जायेगा।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण विद्यार्थियों की संख्या एवं केन्द्र पर उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जावे। यहाँ यह ध्यान रहे कि किसी भी केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 1000 से कम ना हो।

16. आवेदन एवं मूल्यांकन (परीक्षा) व्यवस्था शुल्क:-

- **मूल्यांकन व्यवस्था शुल्क:-** कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर राजस्थान, के पत्रांक : शिविरा/प्रा शि/पंविप/प्रा.शि.पू.प/दिशा निर्देश/2022 दिनांक:-14/01/2023 के सन्दर्भ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानानुसार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा किन्तु मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों से प्रति परीक्षार्थी 50/- रुपये की दर से राशि ली जायेगी। उक्त राशि विद्यार्थियों से नहीं ली जायेगी बल्कि मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय इसे वहन करेंगे। उक्त राशि सम्बन्धित विद्यालय द्वारा अध्यक्ष, डाइट विकास एवं प्रबन्धन समिति को जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रेषित की जावेगी।
- **मूल्यांकन व्यवस्था:-** मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन केन्द्र पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मूल्यांकन केन्द्र से अधिकतम 15 कि.मी. की परिधि से ही शिक्षकों को वीक्षण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु लगाया जा सकेगा।

17. मूल्यांकन पत्रको की जाँच व्यवस्था:-

- मूल्यांकन कार्य हेतु DIET/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय). प्रारंभिक शिक्षा के निर्देशन में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने परिक्षेत्र के अनुभवी अध्यापकों का पैनल तैयार कर आदेश जारी करेंगे।
- ब्लॉक कार्यालय द्वारा निर्धारित संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों पर केन्द्राधीक्षक की देखरेख में प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5) 2024 के प्रश्न पत्र बुकलेट का मूल्यांकन कार्य करवाया जायेगा एवं मूल्यांकन कर्त्ता प्राप्तांक अपने स्टॉफ लॉगिन एवं पासवर्ड से सीधे पोर्टल पर अपलोड करेगा।

18. ग्रेडिंग स्केल :- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 (संशोधित) 15 सितम्बर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक मे वर्णित प्रावधानों के तहत वर्तमान मे कक्षा-5 में अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है। अतः कक्षा-5 में मूल्यांकन व्यवस्था का ग्रेडिंग स्केल निम्नानुसार रहेगा-

स्केल	81-100	61-80	41-60	33-40	0-32
ग्रेड	A	B	C	D	

RajKaj Ref
5282306

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2024.01.09 17:43:46 IST
Reason: Approved

- ग्रेड (ई) प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण पश्चात पूरक परीक्षा देनी होगी।
- पूरक परीक्षा में शामिल समस्त विद्यार्थियों को राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 15.09.2020 के अनुसार आगामी कक्षा में कक्षोन्नत किया जाएगा।
- कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य/गुण व प्रशि अनु/गुण प्र/RKSMBK/61186/2023-24 दिनांक 05.08.2023 एवं 06/10/2023 की अनुपालना में कक्षा 5 के लिए मूल्यांकन हेतु दक्षता आधारित प्रश्न समाहित रहेंगे।
- 20 अंक सत्रांक के लिए एवं 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं।

19. सत्रांक निर्धारण :-

- i. **CCE संचालित विद्यालय एवं अन्य विद्यालय (राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अन्तर्गत आकलन नहीं होने वाले) में सत्रांक निर्धारण :-** सत्रांक के 20 अंकों का विभाजन इस प्रकार रहेगा
1. उपस्थिति के लिए 5 अंक
 2. एस.ए.-1 एस. ए.-2 अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण तथा अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों के लिए 15 अंक (प्रपत्र 2 अ में दी गयी तालिका के अनुसार)
- किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जायेगा। प्रत्येक विषय में 5 पॉइंट स्केल के आधार पर ग्रेड प्रदान की जायेगी। सभी विषयों में प्राप्त ग्रेडिंग के आधार पर ऑवर ऑल ग्रेड तालिका सह प्रमाण पत्र दिया जायेगा। इसमें सी.जी.पी.ए. का प्रावधान नहीं होगा।
 - आर.टी.ई. एक्ट के प्रावधानानुसार विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए उपस्थिति के अंको का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है।
- 86 से 100 तक – 5 अंक
76 से 85 तक – 4 अंक
71 से 75 तक – 3 अंक
60 से 70 तक – 2 अंक (केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें संस्था प्रधान द्वारा उपस्थिति में 15 प्रतिशत तक की छूट देकर मूल्यांकन में सम्मिलित किया गया हो)।

सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 अ

विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय)

क्र. सं.	आकलन क्षेत्र	शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया				प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि	व्यक्तिगत गुण अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियां	विषय							
	अधिगम क्षेत्र	लिखित आकलन (SA-1, SA-2) पेपर टेस्ट	पोर्ट फोलियो स्थिति	चैक लिस्ट अंकन	अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियां	नियमितता एवं समबद्धता	वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार	व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियां	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता	नो बैग डे गतिविधियां	सर्वयोग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक (15)	उपस्थिति	योग सत्रांक	विशेष विवरण
अंक		10	10	10	20	10	10	10	10	10	100	15	5	20	
नाम छात्र/छात्रा															

RajKaj Ref 5282306

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat

Designation: Director

Date: 2024.01.09 15:43:46 IST

Reason: Approved

इस प्रपत्र की पूर्ति कर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए एवं इसकी सहायता से सत्रांक की ऑनलाइन फीडिंग की जाये।

- "राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम" के अन्तर्गत आकलन कराने वाले विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण :- कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य/गुण वं प्रशि अनु/गुण प्र/RKSMBK/61186/2023-24 दिनांक 05.08.2023 एवं 06/10/2023 की अनुपालना में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अन्तर्गत ऐसे विद्यालय जहां RKSMBK के अन्तर्गत आकलन लिया जा रहा है। सत्रांक निर्धारण का फॉर्मूला प्रपत्र-2 ब के अनुसार रहेगा

सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 ब

विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय

सं. क्र.	आकलन क्षेत्र				शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया		प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि		व्यक्तिगत गुण अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियां			विषय			
	अधिगम क्षेत्र	लिखित आकलन (SA-1, SA-2)	पोर्ट फोलियो स्थिति	चैक लिस्ट अंकन	RKSMBK आकलन 1 व 2 (15+15)	नियमितता एवं समयबद्धता	वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार	व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियां	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता	नो बैग डे गतिविधियां	सर्वयोग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक (15) (सर्वयोग का 15 प्रतिशत)	उपस्थिति	योग सत्रांक	विशेष विवरण
अंक	10	5	5	30	10	10	10	10	10	100	15	5	20		
नाम छात्र/छात्रा															

नोट :- हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के अतिरिक्त शेष विषयों का सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2-अ के अनुसार होगा।

विद्यालय स्तर पर सत्रांक निर्धारण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं।

- शिक्षण अधिगम एवं कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया :- विद्यालय स्तरीय लिखित आकलन (एस.ए. -1. एस.ए.-2) पोर्टफोलियो स्थिति, चैकलिस्ट अंकन, RKSMBK आकलन 1 व 2 के अंक तथा टिप्पणियों के आधार पर।
- प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि विद्यालय स्तरीय नियमितता व समयबद्धता, वर्तनी उच्चारण एवं लिखावट सुधार के आधार पर।
- व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियाँ – व्यक्तिगत गुण व अभिवृत्तियों, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता, नो बैग डे गतिविधियां आदि विद्यालय स्तरीय गतिविधियों के आधार पर।
- परीक्षा परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के सम्बन्ध में:-प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कार्यवाही करने एवं संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण इत्यादि देने के विषय में समय-समय पर विभाग द्वारा जारी आदेशों-निर्देशों की पालना की जायेगी।

20. अन्य दिशा-निर्देश:-

- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2024 जी.एस.ए. का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) तथा राजस्थान राज्य के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत राजपत्र में अधिप्रसारित नोटिफिकेशन दिनांक 15 सितम्बर 2020 में उल्लिखित दिनांक 15 सितम्बर 2020 में सम्पादित होगी।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jaiswal
Designation: Director
Date: 2024.01.09 17:43:46 IST
Reason: Approved

- केवल नियमित विद्यार्थी ही इस मूल्यांकन (परीक्षा) में बैठ सकेंगे। स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
- भाषा विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित होंगे। प्रश्न पत्र बुकलेट के रूप में होंगे। जिसमें दिए गए स्थान पर परीक्षार्थियों को उत्तर लिखना होगा।
- श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, मानसिक पक्षाघात ग्रस्त, सेरेब्रल पैल्सी, मानसिक विमन्दता (एम. आर) एवं ऑटिज्म से पीड़ित विद्यार्थियों को निर्धारित समयावधि से 30 मिनट तक का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा।
- दृष्टिहीन (Blind). हाथ से निःशक्त व लिखने में असमर्थ अथवा लिखने वाले हाथ की हड्डी टूट जाने पर विद्यार्थी को भी 30 मिनट तक का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। इन विद्यार्थियों को श्रुतलेखक (Writer) भी उपलब्ध करवाया जा सकेगा। ऐसा श्रुतलेखक परीक्षार्थी की कक्षा से कम से कम एक स्तर नीचे की कक्षा का होना चाहिए। श्रुतलेखक की अनुज्ञा/अनुमति केन्द्राधीक्षक द्वारा जारी की जायेगी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए पृथक से बैठक व्यवस्था की जायेगी।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 5) में मुख्य चार विषय (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन) के अध्ययन का प्रावधान है सामान्य विद्यालयों में इन्हीं विषयों का अध्यापन कार्य संपादित होता है। **विशेष भाषा विद्यालयों के अतिरिक्त विषय (उर्दू, संस्कृत, सिंधी) का अध्यापन निर्धारित है।** प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2024 हेतु मुख्य परीक्षा मूल्यांकन में मुख्य चार विषयों के अंक निर्धारक/ग्रेड निर्धारण का प्रावधान किया जाता है। **विशेष/अतिरिक्त विषय के अंक/ग्रेड निर्धारक विद्यालय स्तर से किया जाना है। कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव की तरह अतिरिक्त विषय की अंक प्रविष्टि (100 अंक में से) विद्यालय स्तर से प्रावधान किया जाना है।**
- कला शिक्षा कार्यानुभव एवं स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गये शैक्षिक कार्यों तथा गतिविधियों के आधार पर 5 पॉइंट स्केल आधारित मूल्यांकन किया जाएगा।
- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2024 मूल्यांकन/पूरक (परीक्षा) के परिणाम की घोषणा उपरान्त पुर्नगणना का प्रावधान रहेगा, जिसे डाइट द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा।
- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2024 /पूरक परीक्षा प्रश्न पत्र बुकलेट जांच कार्य करने वाले परीक्षक को 3 रू/कॉपी देय प्रस्तावित है। जिसका बजट आवंटन प्रारंभिक शिक्षा के राज्यमद के उपमद-42 द्वारा होगा। जिसके लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान बीकानेर से अनुमोदन आवश्यक रहेगा।
- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2024 परीक्षा संचालन हेतु जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन/संग्रहण वितरण केन्द्रों को स्टेशनरी एवं अन्य खर्च हेतु 2000/- (अक्षरे रुपया दो हजार मात्र) प्रति केन्द्र को एकमुश्त राशि देय प्रस्तावित है। जिसका बजट आवंटन प्रारंभिक शिक्षा के राज्यमद के उपमद-42 द्वारा होगा तथा पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान बीकानेर से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।
- डाइट जि.शि.अ. (मु.) प्रा.शि./मा.शि. मु. ब्लॉक शि.अ. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ एवं आर.एस.सी.ई.आर.टी. उदयपुर के कार्यालयों में परीक्षा एवं प्रश्न पत्र बुकलेट के मूल्यांकन के दौरान कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जायेंगे। संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक कार्यालयों में भी नियन्त्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे।
- **सानुग्रह अंक** – न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान किया जाता है। एक विषय में अधिकतम अंक के 5 प्रतिशत और 2 विषय होने पर अधिकतम अंक के 2-2 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे। सानुग्रह अंक का प्रावधान केवल मुख्य परीक्षा में ही होगा।

RajKaj Ref
5282306


Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2024.01.09 17:43:46 IST
Reason: Approved

- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2024 के आयोजन में हर कदम पर विशेष सावधानी आवश्यक है। अतः निम्नानुसार सतर्कता बरती जाये :-
 1. प्रश्न पत्र बुकलेट प्राथमिकता अनुसार सर्वप्रथम थाने में यदि थाना परीक्षा केन्द्र के नजदीक ना हो तो नजदीक की पुलिस चौकी में और यदि पुलिस चौकी भी नजदीक न हो तो पूर्ण सुरक्षा बंदोबस्त के साथ विद्यालय में रखवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में प्रश्न पत्र बुकलेट रखने की स्थिति में केन्द्राधीक्षक द्वारा राउण्ड द क्लॉक कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर प्रश्न पत्र बुकलेट की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। केन्द्राधीक्षक अनिवार्य रूप से हर समय मुख्यालय पर मौजूद रहेंगे।
 2. प्रश्न पत्र बुकलेट्स के मूल्यांकन, अंक मिलान एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में पूर्ण गोपनीयता बरती जाए।
 3. प्रश्न पत्र बुकलेट्स का मूल्यांकन अनुभवी, जिम्मेदार एवं योग्य शिक्षकों से ही करवाया जाये। मूल्यांकन स्थल पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र बुकलेट के बण्डल मूल्यांकन केन्द्र से बाहर नहीं ले जाने दिये जायें।
- **प्रश्न पत्र बुकलेट पूर्णांक 80 अंक का तथा समय 2.30 घण्टे होगा।**
- उपर्युक्तानुसार जारी दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जायेगी। परीक्षा कार्य पंचांग, परीक्षा कार्यक्रम (टाईम टेबल) एवं जारी दिशा निर्देशों के किसी बिन्दु के सम्बन्ध में सार्वजनिक हित में आंशिक परिवर्तन, संशोधन एवं शिथिलन के लिए बतौर विभागाध्यक्ष निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर अधिकृत होंगे तथा ऐसे निर्णय परीक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों के हिस्से माने जायेंगे।

Signature valid

RajKaj Ref
5282306


Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2024.01.09 17:43:46 IST
Reason: Approved



"GOVTEXAMTAK.COM" एजुकेशन न्यूज़ की खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए इस लिंक पर Click कीजिए

All Education Update's 1st

Job | Exam Date | Syllabus | Admit Card | Answer Key | Result | Scheme



Telegram

<https://t.me/GovtexamtakOfficial>

